न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।

UPSH040235942022

Warrant or Summons Criminal Case/25836/2022
RAMESH SINGH Vs. SUMIT JAYSWAL & Others
थाना–मदनापर, जिला–शाहजहॉपुर।

18–08–2023

पत्रावली बाबत तलबी आदेश के प्रस्तुत हुई। परिवादी को तलबी के बिन्दु पर विगत नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने उमेश सिंह पुत्र बृजपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर कलां तहसील सदर शाहजहाँपुर की भूमि गाटा सं0 1461/0.042, 523/0.052, 524/0.024, 539/0.012, 549/0.028, 425/0.053, 543/0 ,486/0.085 कुल 8 किता रकवा 0.282 हे0 का बैनामा सब रजिस्ट्रार सदर के कार्यालय में दिनांक 04.11.2011 को कराया था। जिसका दाखिल खारिज भी उसके हक में दिनांक 18.08.2021 को हो गया। जो कि खतौनी इन्तखाव में उसके नाम दर्ज हो चुकी है। इसके बाद दिनांक 11.07.2022 को उमेश सिंह पुत्र विजयपाल सिंह ने सुमित जयसवाल शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिकन्दरपुर कला व दलाल मनोज पुत्र मुन्ना सिंह से मिलकर उसको आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से विक्रेता उमेश सिंह पुत्र विजयपाल सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर कलां तहसील सदर शाहजहाँपुर को अनुचित लाभ पहुंचाया ऋण स्वीकृत करने की पूरी जिम्मेदारी शाखा प्रबन्धक की होती है। शाखा प्रबन्धक सुमित जायसवाल ने दलाल मनोज से मिलकर उमेश पुत्र विजयपाल का ऋण स्वीकृत कर दिया व स्वयं व मनोज ने अनुचित लाभ लेकर उसकी भूमि को बंधक कर दिया। जिससे उसे काफी आर्थिक हानि व हकतलफी है। इस बात की जानकारी उसको तब हुई जब उसने अपनी भूमि का इंतखाव लिया तो उसने देखा कि उसकी भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा में बंधक हो गई है। तब वह बैंक ऑफ बड़ौदा सिकन्दरपुर कला में गया व वहाँ पर शाखा प्रबन्धक सुमित जायसवाल से इस सम्बन्ध में शिकायत की तो शाखा प्रबन्धक सुमित जायसवाल ने कहा कि तुम उनकी शाखा में आकर कार्य में बाधा डालते हो वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर एफ0आई0आर0 दर्ज करा देगें। तो उसने कहा कि एक तो भूमि बंधक किसी दूसरे के हक में कर दी है और उल्टी धौंस दिखाते हो, इतना कहते ही उसे माँ–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगे व बैंक के गार्ड से कहा कि इसे शाखा के बाहर निकाल दो। वह इस घटना के बाद थाना–मदनापुर गया तो वहां पर उक्त तीनों लोगों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उसने एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वा भेजा उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सहायक चकबन्दी अधिकारी, शाहजहॉपुर द्वारा जारी जो चकबन्दी आकार पत्र 11 की सत्य प्रति, थानाध्यक्ष, मदनापुर, पुलिस अधीक्षक, शाहजहॉपुर, सहायक महाप्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय कार्यालय लोधीपुर, शाहजहॉपुर को प्रेषित पत्र की छायाप्रति एवं रजिस्ट्री रसीद दिनांक 22.09.2022 दाखिल की गयी है।

परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि––वह उमेश पुत्र बिजपाल से जमीन आठ गाटा लगभग 4 बीघा से कुछ ज्यादा 40,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीदा था। 04.11.2011 को जरिए पंजीकृत बैनामा खरीदा था। बैनामा के गवाह का नाम उसे याद नहीं है। क्योकि दस वर्ष से ज्यादा हो गये। उसे पूरे जमीन का कब्जा मिल गया था। अभी भी उसपर उसका गेहूँ बोया हुआ है। बाद में उमेश ने अपने हिस्से के एक बीघा से ज्यादा उसके खरीदे हुए उक्त सभी भूमि पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिकन्दरपुर कलां से लोन ले लिया। जब वह अपनी खतौनी इसी साल आठवे महीने में लिया तब उक्त लोन की जानकारी उसे हुयी। वह बैंक मैनेजर से जाकर पूछा कि उसकी खरीदी हुई जमीन पर लोन क्यो दे यि तब बैंक मैनेजर ने कहा कि जिसने लोन लिया है उसे बुलाकर लाओ तब बतायेंगे। उसने कहा कि उमेश दिल्ली रहता है तो वह कहां से ढूँढकर लाये। इतने पर बैंक मैनेजर चिढ़कर कहा कि तुम यहॉ आकर काम में बाधा डालते हो तुम्हारे खिलाफ एफ0आई0आर0 करायेंगे। वह उसे मॉ बहन की गाली देकर गार्ड से निकलवा दिये। बैंक मैनेजर का नाम सुमित जायसवाल है। वह थाना पर गया वहॉ पर दरख्वास्त दिया रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। थाना प्रभारी एक महीना तक टालते रहे। फिर डाक द्वारा एक प्रार्थना पत्र एस0पी0 साहब को दिया उसके उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी द्वारा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी.डब्ल्यू–1 ओमवीर सिंह तथा पी.डब्ल्यू.–2 रजनीश कुमार सिंह को प्रस्तुत किया गया है।

साक्षी पी.डब्ल्यू–1 ओमवीर सिंह के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–ग्राम सिकन्दरपुर कलां मदनापुर के रमेश सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह ने अपने ही गांव के उमेश सिंह की कृषि भूमि करीब 4 बीघा खरीदी थी। बैनामा करने के बाद रमेश सिंह के नाम दाखिल खारिज भी हो गया था। परन्तु बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मदनापुर के शाखा प्रबंधक सुमित जायसवाल ने उमेश व मनोज पुत्र मुन्ना सिंह से मिलकर उमेश

क्रमशः पेज संख्या–2 पर

Digitally signed by ANAND PRIYA GAUTAM
Date: 2023.08.19 16:34:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुत्र विजयपाल के नाम ऋण दे दिया जिसमें रमेश सिंह द्वारा खरीदी गयी कृषि भूमि गाटा संख्या 1461, 523, 524, 539, 549, 425, 443 व 486 कुल 8 किता रकवा करीब 0.282 हे0 भी उमेश के हक में बंधक कर उमेश को लोन दे दियां इस बात की जानकारी उमेश को तब हुई जब उसने इन्तखाव लिया उसके बाद रमेश शाखा प्रबंधक सुमित जायसवाल के पास गये व पूछा कि आपने उसकी भूमि उमेश के हक में बंधक क्यो कर दी। इतना पूछते ही शाखा प्रबंधक नाराज हो गये व रमेश को शाखा के बाहर जबरन अपने गार्ड द्वारा निकलवा दिया। वह उस समय शाखा में ही मौजूद था।

साक्षी पी.डब्ल्यू–2 रजनीश कुमार सिंह के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 संक्षेप में इस प्रकार हैं कि–उसके ग्राम के रमेश सिहं पुत्र धर्मपाल ने उमेश सिहं पुत्र विजयपाल की कृषि भूमि करीब 4 बिघा खरीदी थी जमीन खरीदने के बाद इस भूमि का दाखिल खारिज भी रमेश के हक मे हो गया। इस जमीन पर बाद में उमेश सिहं ने शाखा प्रबंधक सुमित जयसवाल व अन्य लोगों के साथ मिलकर कृषि ऋण ले लिया था। इस बात की जानकारी जब रमेश सिहं को हुई तो वह शाखा प्रबंधक से जानकारी करने गये थे। तो शाखा प्रबंधक ने रमेश सिहं को अपने गार्ड की सहायता से बैक से धक्के मार कर निकलवा दिया व यह धमकी दि कि उसकी शाखा से निकल जा तुम्हे जो कर मिले वह करलो। यह घटना उसके सामने हुई थी।

प्रस्तुत परिवाद के सम्बन्ध में दिनांक 29.03.2023 को आदेश पारित कर धारा–202(1) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत सम्बन्धित थाना से विवेचना करायी गयी। उक्त विवेचना की आख्या दिनांकित 14.04.2023 संलग्न पत्रावली है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया कि भूमि गाटा सं0 1461/0.042, 523/0.052, 524/0.024, 539/0.012, 549/0.028, 425/0.053, 543/ 0,.486/0.085 कुल 8 किता रकवा 0.282 हे0 का बैनामा सब रजिस्ट्रार सदर के कार्यालय में दिनांक 04.11.2011 को कराया था। जिसका दाखिल खारिज उसके हक में दिनांक 18.08.2021 को हो गया। खतौनी इन्तखाव में उसके नाम दर्ज हो चुकी है। दिनांक 11.07.2022 को उमेश सिंह ने सुमित जयसवाल, शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिकन्दरपुर कला व मनोज से मिलकर विक्रेता उमेश को अनुचित लाभ पहुंचाया। शाखा प्रबन्धक सुमित जायसवाल ने मनोज से मिलकर उमेश का ऋण स्वीकृत कर दिया व स्वयं व मनोज ने अनुचित लाभ लेकर उसकी भूमि को बंधक कर दिया। पत्रावली पर दाखिल सहायक चकबन्दी अधिकारी सदर, शाहजहॉपुर द्वारा जारी जो चकबन्दी आकार पत्र 11 में यह कथन अंकित है कि शाखा प्रबन्धक बैंक आफ बड़ौदा सिकन्दरपुर कला के बन्धपत्र दिनांक 11.07.2022 के अनुसार उमेश सिंह पुत्र विजय पाल सिंह की ग्राम की स्थित भूमि ग्राम सिकन्दरपुर कलां परगना कांट तहसील सदर शाहजहॉपुर की सी.एच.–11 की खाता संख्या–046 में अपने अंश की भूमि पर मु0 2,71,000/–रूपये ऋण लेकर बैंक के हक में बंधक की। पत्रावली पर उपलब्ध धारा–202(1) दं.प्र.सं. की जांच आख्या दिनांकित 14.04.2023 के अनुसार परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये गवाहों से पूछताछ में गवाहों के बयान दर्ज किये गये। गवाहों ने बताया कि परिवादी के साथ शाखा प्रबन्धक द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग कर बाहर निकाल दिया गया। धारा–202(1) दं.प्र.सं. की जांच आख्या दिनांकित 14.04.2023 में तथाकथित शाखा प्रबन्धक का नाम विवेचक द्वारा अंकित नही किया गया है और न ही विवेचक को गवाह/परिवादी रमेश सिंह, गवाह रजनीश सिंह व गवाह ओमवीर सिंह ने शाखा प्रबन्धक का नाम अपने–अपने बयानों में अंकित कराया गया है। परिवादी द्वारा उक्त जांच आख्या दिनांकित 14.04.2023 के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। पत्रावली पर प्रश्नगत बैनामा अथवा बैनामे की सत्यप्रति दाखिल नहीं की गयी है। उपरोक्त विवेचना तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार का प्रथमदृष्ट्या अपराध कारित किया जाना नहीं पाया जता है। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद में अग्रिम कार्यवाही किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है तथा परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित अभिलेखागार की जाये।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहॉपुर।
आई.डी. नं0–यू.पी 1875